

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 133/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शक्ति सिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली।	1. गोकलराम पुत्र छोगाराम 2. धेवरराम पुत्र छोगाराम 3. पोकलराम पुत्र छोगाराम 4. मोहनलाल पुत्र छोगाराम जातिगण जाट निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0। 5. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 18/07/2024



अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1262 रकबा 0.6400 है0 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1264 रकबा 0.7100 है0 में से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में पंहुच का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मुख्य सड़क से निकटतम रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 1262 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता खसरा नंबर 1264 में से दिलाया जाने एवं रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सो 1 से 5 बावजूद सूचना/तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो विन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरुवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1134 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि ख0नं0 1262 के खातेदार दौलतसिंह हि0 1/2 शक्ति सिंह हि0 1/2 पि0 लालसिंह कौम राजपूत सा.देह रकबा 0.6400 है0 किस्म बा0अ0 की स्थित हैं। ख0नं0 1262 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त खसरा गांव की आबादी से 1.5 किमी0 तथा एन.एच. 162 से 1, किमी0 की दूरी पर हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 62 मीटर × 4 मीटर = 0.0248 है0 हैं। ख0नं0 1264 रकबा 0.7100 है0 में से 0.0248 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 166014/- रुपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (166014/- रू0 × 2 × 0.0248 है0 = 8234.29/- रुपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा / हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया जिसमें नजदीकी रास्ता ख0नं0 1264 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।



बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 1262 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता खसरा नंबर 1264 में से दिलाया जाने एवं रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकूलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान फाशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)


है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है और 2 अन्य खातेदार भी जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। चूँकि हस्तागत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्याधिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 162 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष 'Clean Hand' से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क), के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1262 रकबा 0.6400 है0 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1264 रकबा 0.7100 है0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1264 में से (166014/- रु0 × 2 × 0.0248 है0 = 8234.29/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0सं0	ख0न0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्लिदयत कौमियत व सकूनत	रास्तो की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दोगुना)
1.	1264 चा.दो.	0.7100 है0	कैलाश पुत्र गोकलराम हि0 1/15 कोम जाट सा.देह खातेदार	62 मी0 × 4 मी0 =	548.95/- रूपये


उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2	जा दो बंजड	गरी पत्नि छोगाराम हि0 1/5 कौम जाट सा देह खातेदार	0.0248 है0	1646.86 /- रूपये
3		धेवरराम पुत्र छोगाराम हि0 1/5 कौम जाट सा देह खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा चण्डावल		1646.86 /- रूपये
4		पपली पत्नि गोकलराम हि0 1/15 कौम जाट सा.देह खातेदार		548.95/- रूपये
5		पोकरराम पुत्र छोगाराम हि0 1/5 कौम जाट सा.देह खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चण्डावल		1646.86 /- रूपये
6		भगाराम पुत्र गोकलराम हि0 1/15 कौम जाट सा.देह खातेदार		548.95/- रूपये
7.		मोहनलाल पुत्र छोगाराम हि0 1/5 कौम जाट सा.देह खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा चण्डावल		1646.86 /- रूपये

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ़्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(कसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)